BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONE BENCH AT BHOPAL

O.A. No. 165/2024 (CZ)

IN MATTER OF:

BHOM SINGH ………..APPLICANT

VERSUS

JAI BHOLENATH RESORT & ORS. ………...RESPONDENTS

INDEX TO DOCUMENTS

S.NO	DESCRIPTION OF DOCUMENTS	ANNEX.	Pg. No
1.	ATR on Behalf of Respondent No.3/District Collector, Jalore		2-5
2.	Affidavit		6
3.	Copy of the order dated 09.02.2026	R3/1	7 - 8
4.	Copy of the notice dated 20.02 2026	R3/2	9
5.	Copy of the notice dated 20.02 2026	R3/3	10
6.	Copy of the notice dated 20.02 2026	R3/4	11
7.	Copy of the newspaper clipping dated 24.02.2026	R3/5	12
8.	Copy of the relevant High Court orders	R3/6	13 - 14
9.	Proof of Service		15

PLACE: JABALPUR
DATE: 24.02.2026

RESPONDENT NO.3
THROUGH

SHOEB HASAN KHAN
STANDING COUNSEL FOR STATE OF RAJASTHAN

Ph. No.: (+91)-8989499211
Email: standingcounsel.rajasthan.ngt.bpl@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONE BENCH AT BHOPAL

O.A. No. 165/2024 (CZ)

IN MATTER OF:

BHOM SINGH **……..…**APPLICANT

VERSUS

JAI BHOLENATH RESORT & ORS. **………..**RESPONDENTS

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.3/DISTRICT COLLECTOR JALORE, RAJASTHAN IN COMPLIANCE WITH THE DIRECTIONS ISSUED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL VIDE ORDER DATED 02.02.2026

The Respondent most respectfully submits here -

1. That, vide order dated 02.02.2026, this Hon'ble Tribunal directed the District Collector, Jalore (Respondent No. 3) to take necessary action for protection of government land in accordance with revenue laws and to file a report.

2. That in response to the aforesaid instructions, and on the directions of District Collector Jalore, Rajasthan sent a dated 09.02.2026, the Commissioner, Nagar Parishad, Jalore. Copy of the order dated 09.02.2026 is marked here as **Annexure R3/1**

The following actions has taken -

a. Issued a notice dated 20.02.2026 under Sections 194 read with 245 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, and Rajasthan Model Building Regulations, 2020, to Jay Bholenath Enterprises (through its partners: Smt. Champadevi w/o Champalal, Champalal s/o Jabarram, Jabarram S/o Posaram,

Naresh Devda s/o Joitaram, Natharam s/o Jasaram, Smt. Rekha Devda w/o Naresh Devda, Smt. Sumti Devi w/o Jabarram, and Smt. Usha Devi w/o Natharam), directing them to remove the illegal commercial complex constructed without approval on the land in question (Khasra Nos. 3762, 3763, 3764 & 3765, Mouza Jalore B), which falls under the green belt/plantation strip and proposed 80 ft. road as per Jalore Master Plan 2031. The notice provides 15 days from receipt to voluntarily remove the construction, failing which the Nagar Parishad will undertake demolition at their cost. Copy of the said notice is annexed herewith as **Annexure-R3/2**

b. Issued a notice dated 20.02.2026 under Section 73(Kh) of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, to Smt. Suadevi w/o Kanaram Bhil and Jay Bholenath Enterprises (through the aforementioned partners), for cancellation of Patta No. 923/2016-17 issued for residential purposes on the said land, which violates the Jalore Master Plan 2031 (reserved for green belt and proposed 80 ft. road) and breaches condition No. 7 of the patta deed prohibiting transfer. The notice provides 7 days from receipt for the recipients to appear and submit clarification, failing which the patta and subsequent transfer will be cancelled. Copy of the said notice is annexed herewith as **Annexure-R3/3**

c. Issued a notice dated 20.02.2026 under Section 73(Kh) of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, to Smt. Gatta Devi w/o Somaram Meena and Jay Bholenath Enterprises (through the aforementioned partners), for cancellation of Patta No. 922/2016-17 issued for residential purposes on the said land, which similarly violates the Jalore Master Plan 2031 and breaches condition No. 7 of the patta deed. The notice provides 7 days from receipt for clarification, failing which cancellation proceedings will be initiated. Copy of the said notice is annexed herewith as **Annexure-R3/4**

3. That the aforesaid actions by the Nagar Parishad, Jalore, have been widely publicized, including through a news report published in Dainik Bhaskar (Jalore/Sanchore Edition) dated 24.02.2026, highlighting the 15-day notice for

removal of the illegal resort construction on the green belt. Copy of the newspaper clipping is annexed herewith as **Annexure-R3/5**

4. That it is pertinent to mention that a related Writ Petition No. 18067/2024 (Jay Bholenath Enterprises vs. State of Rajasthan & Ors.) was filed before the Hon'ble Rajasthan High Court, Jodhpur, wherein vide order dated 24.10.2024, the effect and operation of the impugned notice dated 22.10.2024 (issued by Nagar Parishad, Jalore) was stayed, and the respondents were directed to de-seize the petitioner's resort. However, the Hon'ble High Court clarified in para 9 of the order that: "The NGT shall be free to continue with the matter and pass appropriate order in accordance with law. Any order passed by the NGT subject of course to right of other parties shall prevail and present order would come to an end automatically." Pursuant to the Hon'ble Tribunal's order dated 02.02.2026, the aforesaid stay has become inoperative, and actions have been initiated as detailed above. Copy of the relevant High Court orders are annexed herewith as **Annexure-R3/6**

5. That the actions taken are in line with the revenue laws and environmental regulations to protect the government land designated as green belt/water catchment area under the Jalore Master Plan 2031.

PRAYER

In light of the above facts and submissions, it is humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly take this reply on record and pass any orders or directions deemed appropriate in the interest of justice.

PLACE: JABALPUR **RESPONDENT NO.3**

DATE: 24.02.2026 THROUGH

SHOEB HASAN KHAN

STANDING COUNSEL FOR STATE OF RAJASTHAN

Ph. No.: (+91)-8989499211

Email: standingcounsel.rajasthan.ngt.bpl@gmail.com

NOTARIAL
NOTARY
Omprakash Choudhary
Reg. No. 14132
Date 9/04/2024 to 9/04/2029
Distt. Jalore (Raj.)
GOVT. OF INDIA
NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONE BHOPAL (M.P.)

O.A. No. 165/2024

APPLICANT : BHOM SINGH

VERSUS

RESPONDENTS : JAI BHOLENATH RESORTS & ORS.

AFFIDAVIT

I Dilip Mathur S/o- Late Shri O.P. Mathur, Age 59 Years, Post : Commissioner, Municipal Counsil Jalore, Rajasthan, R/o - Jalore (Rajasthan), do hereby make oath and state as under:-

1. That, I am the Officer in Charge (OIC) on behalf of Respondent No. 3 in the instant Original Application and hence competent to swear this affidavit on oath.
2. That I am well acquainted with the facts of the case and the pleadings in the Reply are true and correct to my own knowledge and are based on information believed by me to be true. The pleadings have been explained to me by my counsel and aforesaid information is based on records explained to me.
3. That the documents annexed with the Reply are the true copies of original & believed to be true.

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
DEPONENT

VERIFICATION

I Dilip Mathur the above named deponent, do hereby verify that the contents of paras 1 to 3 of above affidavit are true to my personal knowledge.

Verified by me on 24 day of February 2026.

IDENTIFIED BY

Sworned and admitted the contents before me by Shri Dilip mathur S/o O.P. mathur by Caste Commissioner municipal Jalore R/o ...
who is identified by Shri Narendra Singh
Hence Verified

NOTARY JALORE
24-2-26

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर
DEPONENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

क्रमांक/विधि/2026/ 128 दिनांक 09/02/2026

Urgent
JLO

आयुक्त
नगर परिषद् जालोर।

1849
9/2/26

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में दर्ज ओ.ए. नं. 165/2024 में अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ रिसोर्ट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 की अनुपालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा ओ.ए. नं.165/2024 अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 से जिला कलेक्टर को राजस्व कानूनों के अनुसार राजकीय भूमि के संरक्षण करने का निर्देश देते हुए की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर दाखिल किये जाने के निर्देश है दिये हैं। जिसकी आगामी दिनांक 25.02.2026 निहित है। (प्रति संलग्न है।)

याचिकाकर्ता भोमसिंह द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वमें दर्ज ओ.ए. नं. 165/2024 में अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ रिसोर्ट व अन्य जो मौजा जालोर बी के खसरा नम्बर 3762,3763,3764 व 3765 में निर्मित जय भोलेनार्थ रिसोर्ट जो कि पैराफेरी क्षेत्र में भु रूपान्तरण बिना तकनिकी अनुमोदन किया गया। उक्त क्षेत्र जालोर के मास्टर प्लान में एक जलभराव क्षैत्र तालाब के रूप में नामित है। रिसोर्ट का निर्माण अधिकारियों की मिलिभगत एवं वित्तिय प्रलोभन के द्वारा मंजूरी दी जाना बताया है। अवैध रूप से रिसोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। के कारण याचिका पेश की गई।

हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दर्ज रिट याचिका संख्या 18067/2024 जय भोलेनाथ ईंटरप्राईज शनीधाम के सामने सामतीपुरा रोड जरिये पार्टनर रेखा देवडा पत्नी रनेश देवडा बनाम राज. राज्य व अन्य दायर होने पर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24-10-2024 से NP jalore के आदेश दिनांक 22-10-2024 जिससे resort को सीज करने के आदेश दिए गए थे के प्रभाव व प्रवर्तन को रोका गया है माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24 -10-2024 का ऑपरेटिव पैरा इस प्रकार हें

** 8 Till then] effect and operation of the impugned notice dated22-10-2024 shall remain stayed and the respondents are directedto de&seize petitioner*s resort forthwith-
9-The NGT shall be free to continue with the matter and passappropriate order in accordance with law- Any order passed by theNGT subject of course to right of other parties shall prevail andpresent order would come to an end automatically-**

Signature valid
Digitally signed by Pradeep Keshaorao Gawande
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.02.06 18:43:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20389165

माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय के आदेश के अनुसार NGT द्वारा पारित कोई भी आदेश, बेशक अन्य पार्टियों के अधिकार के अधीन,मान्य होगा और यह वर्तमान आदेश अपने आप समाप्त हो जाएगा।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा ओ.ए.नं. 165/2024 अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 से जिला कलक्टर को राजस्व कानूनों के अनुसार राजकीय भूमि के संरक्षण करने का आदेश देते हुए की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर दाखिल किये जाने के निर्देश दिये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 24.10.2024 निष्प्रभावी हो गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा ओ.ए.नं. 165/2024 अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ रिसोर्ट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 के अनुसरण में पालना की कार्यवाही नियमानुसार करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.02.2026 से पूर्व राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधोहस्ताक्षरकर्ता की ओर से पालना रिपोर्ट पेश किया जाना सुनिश्चित करावे।

(डॉ.प्रदीप.के.गावंडे)
जिला कलक्टर
जालोर

Signature valid

Digitally signed by Pra[illegible]p Keshaorao Gawande
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2026.02.06 [illegible]:43:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20389165

कार्यालय नगर परिषद् जालोर (राज.)

Tel Phone No. 02973-222270 Email Id : mbjalore24@yahoo.in & npjaloreraj@gmail.com

क्रमांक / न.प.जा. / न.नियो.शा. / 2026 / 8178 दिनांक :- 20/2/2026

नोटिस

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 सपठित धारा 245 एवं राजस्थान मॉडल भवन विनिमय 2025 के अन्तर्गत)

1. **जय भोलेनाथ एन्टरप्राईजेज जरिये –**
   - i. श्रीमती चंपादेवी धर्मपत्नि श्री चंपालाल
   - ii. श्री चंपालाल पुत्र श्री जबराराम
   - iii. श्री जबराराम पुत्र श्री पोसाराम
   - iv. श्री नरेश देवड़ा पुत्र श्री जोइताराम
   - v. श्री नाथाराम पुत्र श्री जसाराम
   - vi. श्रीमती रेखा देवड़ा धर्मपत्नि श्री नरेश देवड़ा
   - vii. श्रीमती सुमटी देवी धर्मपत्नि श्री जबराराम
   - viii. श्रीमती उषा देवी धर्मपत्नि श्री नाथाराम

   सामतीपुरा रोड़, जालोर।

विषयः– बिना निर्माण स्वीकृति अवैध निर्माण करने के संबध मे।

प्रसग :– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जारी ओ.ए. नं. 165/2024 अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ रिसोर्ट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,जालोर के आदेश क्रमांक :– विधि/2026/128 दिनांक 09.02.2026 के संदर्भ में।

----------0000----------

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता हैं कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जारी ओ.ए. नं. 165/2024 अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ रिसोर्ट व अन्य में की गई शिकायत की जांच में पाया गया हैं कि :–

1. प्रश्नगत भूखण्ड पर सक्षम स्तर से बिना स्वीकृति लिये व्यावसायिक कॉप्लेक्स का निर्माण किया गया हैं जो कि प्रचलित भवन विनियम के मापदण्डों के अनुसार स्वीकृति योग्य नहीं हैं ।
2. जालोर मास्टर प्लान 2031 में उक्त भूखण्ड का भू – उपयोग वृक्षारोपण पट्टी तथा 80 फीट प्रस्तावित सड़क होने से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण अनुमत नहीं है।
3. नियम विरूद्ध हुआ निर्माण हटाए जाने योग्य है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर स्वयं के स्तर से हटा देवें अन्यथा नगरपरिषद द्वारा उक्त निर्माण हटाने की कार्यवाही की जाएगी जिसका हर्जा खर्चे की जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी। सूचित रहे।

आयुक्त
नगर परिषद जालोर

प्रतिलिपि :–
क्रमांक / न.प.जा. / न.नियो.शा. / 2026 /

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, नगरपरिषद, जालोर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जालोर ।

दिनांक :–

आयुक्त
नगर परिषद् जालोर

कार्यालय नगर परिषद् जालोर (राज.)

Tel Phone No. 02973-222270 Email Id : mbjalore24@yahoo.in & npjaloreraj@gmail.com

क्रमांक / न.प.जा. / कृषि भूमि / 2026 / 8181 दिनांक :- 20/2/2026

नोटिस

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 ख के अन्तर्गत)

1. **श्रीमती सुआदेवी धर्मपत्नि श्री कानाराम भील**
   भीलों की सेरी, महेशपुरा (जालोर)
2. **जय भोलेनाथ एन्टरप्राईजेज जरिये –**
   i. श्रीमती चंपादेवी धर्मपत्नि श्री चंपालाल
   ii. श्री चंपालाल पुत्र श्री जबराराम
   iii. श्री जबराराम पुत्र श्री पोसाराम
   iv. श्री नरेश देवड़ा पुत्र श्री जोइताराम
   v. श्री नाथाराम पुत्र श्री जसाराम
   vi. श्रीमती रेखा देवड़ा धर्मपत्नि श्री नरेश देवड़ा
   vii. श्रीमती सुमटी देवी धर्मपत्नि श्री जबराराम
   viii. श्रीमती उषा देवी धर्मपत्नि श्री नाथाराम
   सामतीपुरा रोड़, जालोर।

विषयः– मास्टर प्लान के उल्लंघन एवं अवैध रूपान्तरण के कारण जारी पट्टा संख्या :– 923 /2016–17 को निरस्त करने के संबध मे।

प्रसग :– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जारी ओ.ए. नं. 165/2024 अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ रिसोर्ट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,जालोर के आदेश क्रमांक :– विधि/2026/128 दिनांक 09.02.2026 के संदर्भ में।

————————0000————————

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता हैं कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जारी ओ.ए. नं. 165/2024 अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ रिसोर्ट व अन्य में की गई शिकायत की जांच में पाया गया हैं कि :–

1. प्रश्नगत भूखण्ड जालोर मास्टर प्लान 2031 में वृक्षारोपण पट्टी एवं प्रस्तावित 80 फीट चौड़े सड़क मार्ग हेतु आरक्षित है।
2. मास्टर प्लान की अवहेलना करते हुए आप द्वारा उक्त भूखण्ड का रूपान्तरण उपरान्त पट्टा आवासीय प्रयोजनार्थ जारी करवाया गया हैं जो कि विधि सम्मत नहीं हैं एवं आप द्वारा पट्टा विलेख की शर्त सं. 07 का उल्लंघन करते हुए उक्त भूखण्ड का अन्तरण जय भोलेनाथ एन्टरप्राईजेज को किया गया है।
3. नियम विरूद्ध हुए रूपान्तरण उपरान्त जारी उक्त पट्टा विलेख निरस्त योग्य हैं।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर पट्टा रद्द करने एवं पट्टे से हुए हस्तान्तरण रद्द करवाने की कार्यवाही की जाएगी। सूचित रहे।

आयुक्त
नगर परिषद् जालोर

आयुक्त
नगर परिषद् जालोर

प्रतिलिपि :– दिनांक :–
क्रमांक / न.प.जा. / कृषि भूमि / 2026 /
1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, नगरपरिषद, जालोर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जालोर ।

आयुक्त
नगर परिषद् जालोर

कार्यालय नगर परिषद् जालोर (राज.)

Tel Phone No. 02973-222270 Email Id : mbjalore24@yahoo.in & npjaloreraj@gmail.com

क्रमांक / न.प.जा. / कृषि भूमि / 2026 / 8184

दिनांक :– 20/2/2026

नोटिस

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 ख के अन्तर्गत)

1. **श्रीमती गट्टु देवी धर्मपत्नि श्री सोमाराम मीणा**
   शांति नगर, सूरजपोल के बाहर (जालोर)
2. **जय भोलेनाथ एन्टरप्राईजेज जरिये –**
   i. श्रीमती चंपादेवी धर्मपत्नि श्री चंपालाल
   ii. श्री चंपालाल पुत्र श्री जबराराम
   iii. श्री जबराराम पुत्र श्री पोसाराम
   iv. श्री नरेश देवड़ा पुत्र श्री जोइताराम
   v. श्री नाथाराम पुत्र श्री जसाराम
   vi. श्रीमती रेखा देवड़ा धर्मपत्नि श्री नरेश देवड़ा
   vii. श्रीमती सुमटी देवी धर्मपत्नि श्री जबराराम
   viii. श्रीमती उषा देवी धर्मपत्नि श्री नाथाराम
   सामतीपुरा रोड़, जालोर।

विषयः– मास्टर प्लान के उल्लंघन एवं अवैध रूपान्तरण के कारण जारी पट्टा संख्या :– 922 / 2016–17 को निरस्त करने के संबध मे।

प्रसग :– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जारी ओ.ए. नं. 165 / 2024 अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ रिसोर्ट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक :– विधि / 2026 / 128 दिनांक 09.02.2026 के संदर्भ में।

————————0000————————

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता हैं कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जारी ओ.ए. नं. 165 / 2024 अनवान भोमसिंह बनाम जय भोलेनाथ रिसोर्ट व अन्य में की गई शिकायत की जांच में पाया गया हैं कि :–

1. प्रश्नगत भूखण्ड जालोर मास्टर प्लान 2031 में वृक्षारोपण पट्टी एवं प्रस्तावित 80 फीट चौड़े सड़क मार्ग हेतु आरक्षित है।
2. मास्टर प्लान की अवहेलना करते हुए आप द्वारा उक्त भूखण्ड का रूपान्तरण उपरान्त पट्टा आवासीय प्रयोजनार्थ जारी करवाया गया हैं जो कि विधि सम्मत नहीं हैं एवं आप द्वारा पट्टा विलेख की शर्त सं. 07 का उल्लंघन करते हुए उक्त भूखण्ड का अन्तरण जय भोलेनाथ एन्टरप्राईजेज को किया गया है।
3. नियम विरूद्ध हुए रूपान्तरण उपरान्त जारी उक्त पट्टा विलेख निरस्त योग्य हैं।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर पट्टा रद्द करने एवं पट्टे से हुए हस्तान्तरण रद्द करवाने की कार्यवाही की जाएगी। सूचित रहे।

आयुक्त
नगर परिषद् जालोर

प्रतिलिपि :–
क्रमांक / न.प.जा. / कृषि भूमि / 2026 /

दिनांक :–

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, नगरपरिषद, जालोर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जालोर ।

आयुक्त
नगर परिषद् जालोर

दैनिक भास्कर
जालोर/सांचौर भास्कर 24-02-2026

सख्ती : नगर परिषद ने 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का दिया समय

एनजीटी के निर्देश पर ग्रीन बेल्ट पर निर्मित रिसोर्ट को हटाने का नोटिस

भास्कर न्यूज | जालोर

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल के निर्देश पर नगर परिषद ने सामतीपुरा रोड स्थित भोलेनाथ रिसोर्ट के अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए हैं। शनिधाम के सामने सामतीपुरा रोड पर भोलेनाथ रिसोर्ट का निर्माण एनजीटी की ओर से निर्धारित हरित पट्टी यानि ग्रीन बेल्ट पर किया गया है।

साथ ही यही पर प्रस्तावित 80 फीट रोड के हिस्से पर भी निर्माण हुआ है। इसे लेकर भोमसिंह की ओर से एनजीटी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद एनजीटी ने शिकायत को सही मानते हुए कलेक्टर को सरकारी भूमि संरक्षण व कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए। जिसके तहत कलेक्टर ने नगर परिषद को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।

नगर परिषद की ओर से सुआ देवी पत्नी कानाराम भील, भोलेनाथ रिसोर्ट के संबंधित पक्ष चंपादेवी पत्नी चंपालाल, जबराराम पुत्र पोसाराम, नाथाराम पुत्र जसाराम, सुमटीदेवी पत्नी जबराराम, चंपालाल पुत्र जबराराम, नरेश देवड़ा पुत्र जोताराम, रेखा देवड़ा पत्नी नरेश देवड़ा, उषादेवी पत्नी नाथाराम को नोटिस जारी कर 15 दिन में अतिक्रमण हटाकर स्पष्टीकरण देने के नोटिस जारी किए हैं। साथ ही बताया कि इस समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर परिषद कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाएगा।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 18067/2024

Jay Bholenath Enterprises, Opposite Shanidham, Samatipura Road, Jalore (Rajasthan) Through Its Partner Mrs. Rekha Deora W/o Shri Naresh Deora, Aged About 42 Years, R/o Fateh Royal Residency, Roop Nagar, Jalore (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Secretary, Local Self Government, Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur (Rajasthan).
2. The Commissioner, Municipal Council, Jalore (Rajasthan).
3. The District Collector, Jalore, District Jalore (Rajasthan).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Sandeep Shah, Sr. Counsel assisted by Mr. Devki Nandan Vyas
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Panwar, AAG assisted by Mr. Monal Chugh

---

JUSTICE DINESH MEHTA

Order

24/10/2024

1. Mr. Sandeep Shah, learned Senior Counsel appearing for the petitioner invited Court's attention towards the order dated 24.07.2024 passed by the National Green Tribunal, Bhopal (hereinafter referred to as 'the NGT') and submitted that the impugned notice dated 22.10.2024 and consequential seizure of petitioner's resort effected by the respondents – Municipal Council, Jalore is absolutely illegal.

2. It was argued by Mr. Shah that the allegation before the NGT was that the petitioner has purportedly encroached upon a pond, whereas the impugned notice issued by the respondent –

(Uploaded on 25/10/2024 at 12:16:02 PM)
(Downloaded on 24/02/2026 at 08:45:44 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

Municipal Council does not whisper any word about encroachment upon the pond to which petitioner's resort is abutted.

3. He highlighted that the petitioner holds patta/requisite permission issued by the Municipal Council and is also having Environment Clearance so also the consent to operate the resort.

4. He submitted that abrupt seizure of petitioner's resort has posed serious operational hazards, as it has already booked rooms for the holidays and festive season.

5. Mr. Rajesh Panwar, learned Additional Advocate General prays for and is granted two weeks' time to file reply.

6. A perusal of the order dated 24.07.2024 passed by the NGT placed on record as Annexure-7, reveals that no positive direction to seize the resort has been passed. It is informed that the case which was fixed before NGT today, has been adjourned.

7. List this case on 13.11.2024, as prayed.

8. Till then, effect and operation of the impugned notice dated 22.10.2024 shall remain stayed and the respondents are directed to de-seize petitioner's resort forthwith.

9. The NGT shall be free to continue with the matter and pass appropriate order in accordance with law. Any order passed by the NGT subject of course to right of other parties shall prevail and present order would come to an end automatically.

(DINESH MEHTA),J

713-Mak/-

(Uploaded on 25/10/2024 at 12:16:02 PM)
(Downloaded on 24/02/2026 at 08:45:44 PM)

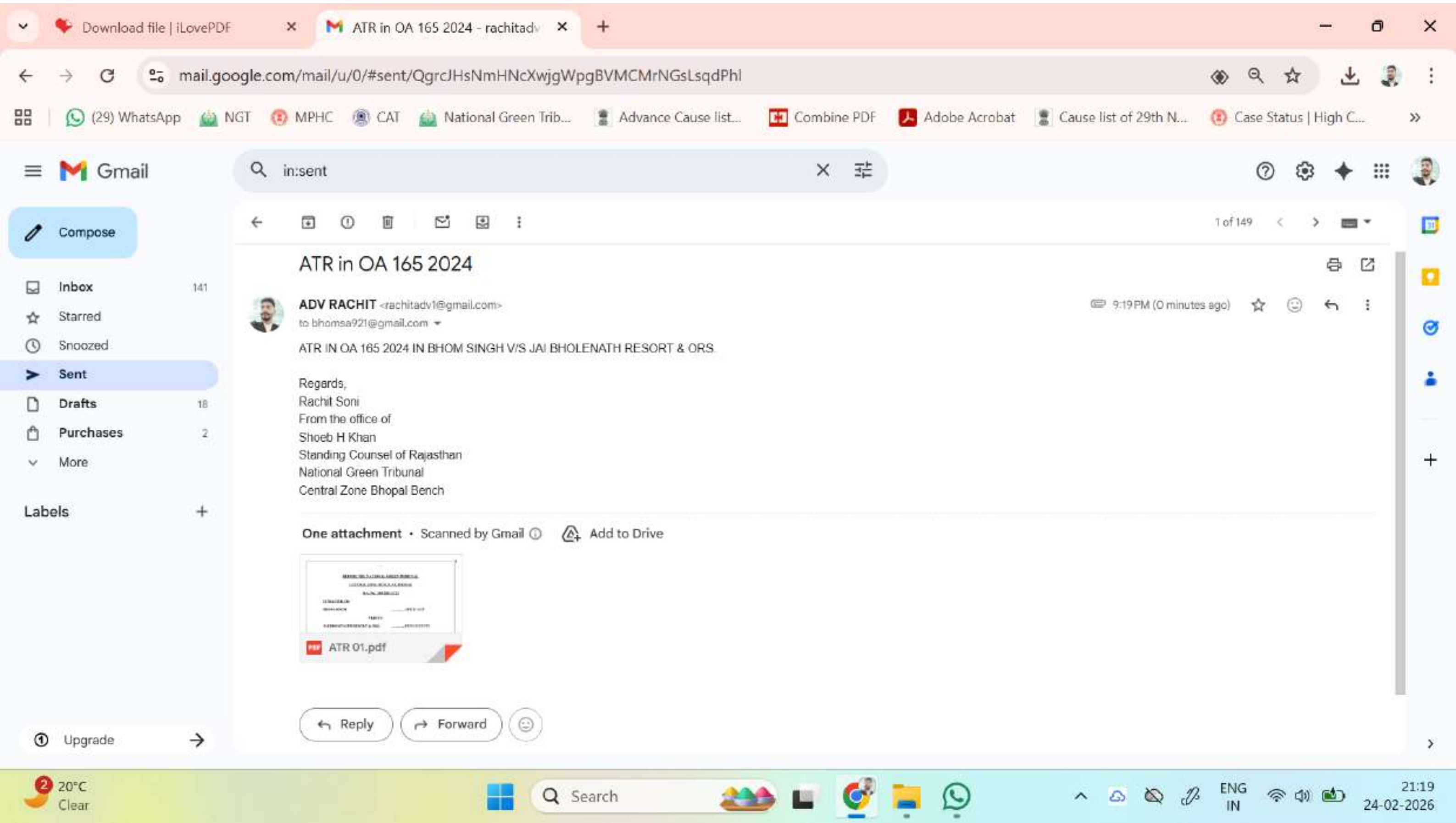
Download file | iLovePDF
ATR in OA 165 2024 - rachitadv
mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHsNmHNcXwjgWpgBVMCMrNGsLsqdPhl
(29) WhatsApp
NGT
MPHC
CAT
National Green Trib...
Advance Cause list...
Combine PDF
Adobe Acrobat
Cause list of 29th N...
Case Status | High C...
Gmail
in:sent
Compose
Inbox 141
Starred
Snoozed
Sent
Drafts 18
Purchases 2
More
Labels
1 of 149
ATR in OA 165 2024
ADV RACHIT <rachitadv1@gmail.com>
to bhomsa921@gmail.com
9:19 PM (0 minutes ago)
ATR IN OA 165 2024 IN BHOM SINGH V/S JAI BHOLENATH RESORT & ORS
Regards,
Rachit Soni
From the office of
Shoeb H Khan
Standing Counsel of Rajasthan
National Green Tribunal
Central Zone Bhopal Bench
One attachment • Scanned by Gmail
Add to Drive
ATR 01.pdf
Reply
Forward
Upgrade
20°C
Clear
Search
ENG
IN
21:19
24-02-2026